मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011
फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619
Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्रमांक/एफ 21-01/आईसीटीसी/2022/ 924 भोपाल,दिनांक 26/05/22

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त अधिस्थाठा, चिकित्सा महाविध्यालय,
3. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय: प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं मे ICTC केन्द्रों के संचालन के संबंध में |

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की भारत सरकार SDG-3, लक्ष्य 3.3 के अंतर्गत 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने 'End of AIDS by 2030' को प्राप्त करने की दिशा में UNAIDS के 95:95:95 लक्ष्य को अपनाया है। जिसके प्रथम 95 के अंतर्गत 95% एड्स संक्रमितों की पहचान करना है | उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं मे 1721 एफ़-आईसीटीसी तथा 246 आईसीटीसी केंद्र स्थापित किए हैं जिससे गर्भवती महिलाओं तथा जन-सामान्य को परामर्श एवं एचआईवी जांच सुविधाएं उपलब्ध कारवाई जा सकें तथा संक्रमितों को जल्द से जल्द उपचार से जोड़ा जा सके | उपरोक्त केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश हैं :-

1- <u>मानव संसाधन:</u>

प्रत्येक आईसीटीसी हेतु 1 परामर्शदाता तथा 1 लैब तकनीशियन नियुक्त किए गए है(चिन्हित चिकित्सा महाविध्यालय के अतिरिक्त), जिनकी नियुक्ति NACO के निर्देशानुसार जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई है |

2- <u>केन्द्र का संचालन :</u>

a- **आईसीटीसी केंद्र की स्थापना, अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य संस्थाओं की ओपीडी मे ही की जाये,** जिससे गर्भवती महिलाओं तथा जन सामान्य हेतु परामर्श एवं जांच का कार्य अबाध्य तौर से हो सके|

b- संस्था मे हितग्राहियों के आईसीटीसी तक पहुचने हेतु **marking** की जाये जिससे हितग्राही आईसीटीसी तक पहुँच सकें |

c- कई स्वास्थ्य संस्थाओं मे संस्था प्रभारी आईसीटीसी केन्द्र को संस्था के प्रथम तल/द्वितीय तल मे स्थापित कर देते है जिससे हितग्राहियों को आईसीटीसी मे पहुचने मे कठिनाई होती है | अतः **आईसीटीसी, स्वास्थ्य संस्था के <u>भूतल</u> मे ही ओपीडी के नजदीक संचालित की जाये जिससे गर्भवती महिलाओं के साथ साथ वृद्ध/आश्रित/दिव्यांगजनों को केंद्र मे पहुचने मे किसी भी तरह की परेशानी न हो |**

d- **परामर्श हेतु आईसीटीसी को अनिवार्य रूप से एक पृथक कक्ष (कम से कम 225 Sq.ft) आवंटित किया जाये** जिससे हितग्राहियों की जांच पूर्व तथा जांच पश्चात परामर्श आवश्यकतानुसार निजता के साथ किया जा सके | इस कक्ष मे परामर्शदाता के बैठने तथा कार्य करने हेतु टेबल , कुर्सी के साथ साथ हितग्राहियों के परामर्श हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये की उक्त कक्ष मे किसी भी अन्य विभाग/कार्यक्रम का दख़ल न हो | उक्त कक्ष मे रिकॉर्ड की सुरक्षा हेतु ताला युक्त अलमारी, हितग्राहियों के बैठने हेतु कुर्सियाँ ,कम्प्युटर,प्रिंटर,यूपीएस तथा इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कारवाई जाये जिससे हितग्राहियों की जानकारी नाको के विभिन्न सॉफ्टवेयरों मे की जा सके |

e- आईसीटीसी मे जांच कार्य हेतु एक लैब तकनीशियन पदस्थ होता है,अतः जांच कार्य के लिए परामर्श कक्ष के अतिरिक्त पृथक कक्ष (कम से कम 100 Sq.ft) उपलब्ध करवाया जाए जो परामर्श कक्ष के नजदीक हो तथा जहां उपकरण रखने हेतु प्लेटफॉर्म तथा हांथ धोने हेतु वॉशबेसिन लगा हो जिसमे निरंतर पानी आता हो | आईसीटीसी लैब मे रेफ्रिजरेटर वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ, थर्मामिटर,centrifuge,RPR Rotator,needle destroyer, micropipette, colour-coded waste disposal bins with disposable polybags अनिवार्य रूप से होना चाहिए | उक्त स्थान पर Early infant diagnosis हेतु एक KMC Chair(प्लास्टिक) भी होनी चाहिए जिससे माता, शिशु को जांच हेतु अच्छे से पकड़ सके |

f- **यह सुनिश्चित किया जाये की आईसीटीसी लैब तकनीशियन की ड्यूटी किन्ही अन्य कार्यक्रमों मे न लगाई | किसी भी परिस्थिति मे आईसीटीसी लैब तकनीशियन की रात्री ड्यूटी न लगाई जाए |**

g- नए आईसीटीसी केन्द्रों हेतु कंडिका e तथा d मे निर्दिष्ठ सामाग्री हेतु वर्ष 2019-20 में बजट जारी किया गया था तथा जिलों द्वारा सामाग्री खरीदी के उपरांत SoE/UCराज्य समिति को भेजी जा चुकी है|((संलग्न: परिशिष्ठ 3) **अतः यह सुनिश्चित किया जाए की आईसीटीसी हेतु क्रय सामाग्री केवल आईसीटीसी मे ही उपयोग की जाए |**

3- <u>आईसीटीसी मे जांच:</u>

a- जिन आईसीटीसी मे समिति NACP कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती लैब तकनीशियन हैं,वहाँ प्रत्येक हितग्राही की एचआईवी जांच नाको द्वारा प्रदत्त किट-1 (combaids) के माध्यम से ही की जाये | हितग्राही के प्रथम जांच किट मे रिएक्टिव आने पर ही किट 2 तथा किट 3 का उपयोग किया जाये | यदि किट उपयोग का अनुक्रम राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा नाको के निर्देशानुसार परिवर्तित किया जाता है तो उस अनुक्रम की जानकारी पृथक से दी जाएगी |

b- केवल एफ़-आईसीटीसी तथा प्रसव कक्ष मे एचआईवी स्क्रीनिंग हेतु Whole blood kit का उपयोग किया जाएगा

4- <u>आईसीटीसी के कार्य:</u>

a- जन सामान्य की एचआईवी जांच ,रोकथाम तथा उपचार सतत एवं अतिआवश्यक प्रक्रिया है जिसमे आईसीटीसी मे पदस्थ कर्मचारियों का मूल कार्य गर्भवती महिलाओं तथा जन सामान्य को एचआईवी परामर्श एवं जांच सेवाएँ प्रदान करना है|इसके अतिरिक्त **उक्त कर्मचारियों को बिना राज्य एड्स नियंत्रण समिति की सहमति के किसी अन्य कार्य मे न लगाया जाए |**

b- कार्यक्रम के अनुसार आईसीटीसी कर्मचारियों को हितग्राहियों/उनके पति/पत्नी/यौन साथियों के फॉलोअप, उपचार हेतु आवश्यकतानुसार नियत दिनों मे फील्ड भ्रमण भी करना होता है| अतः फील्ड भ्रमण के समय संस्था मे एचआईवी जांच हेतु वैकल्पिक प्रबंध किया जाए तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये जिससे फील्ड भ्रमण तथा एचआईवी जांच का कार्य निर्बाध्य रूप से हो सके |फील्ड भ्रमण हेतु दिशानिर्देश पृथक के जारी किए जाएँगे |

5- <u>एचआईवी जांच हेतु जिलों की उपलब्धि</u>

वर्ष 2021-22 में प्राप्त आंकड़ो के अनुसार राज्य मे कुल अनुमानित गर्भवती महिलाओं के विरुद्ध केवल **70% गर्भवती महिलाओं की ही जांच की गई ,** जिसमे केवल 3 जिले क्रमश: शहडोल,झाबुआ एवं श्योपुर ही 95% लक्ष्य को प्राप्त कर पाये | जन सामान्य की एचआईवी जांच मे राज्य की उपलब्धि 104% रही, परंतु केवल 19 जिलों द्वारा 95% या उससे अधिक जांच के लक्ष्य को प्राप्त कर पाये | इस प्रकार कुल जांच लक्ष्य (95%) के विरुद्ध केवल 10 जिलों द्वारा ही 95% या अधिक के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका | अतः प्रत्येक जिले की उपरोक्त सूचकांक के आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे त्रिमासिक समीक्षा की जाए जिससे जिलों मे एचआईवी जांच की उपलब्धि मे गति लाई जा सके | (संलग्न: परिशिष्ठ 2)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करें जिससे एचआईवी जांच तथा परामर्श का कार्य सुचारु रूप से हो सके |

संलग्न: 1- NACO HCTS Guideline
2- जिलेवार वार्षिक जांच लक्ष्य तथा उपलब्धि
3- राज्य समिति का पत्र क्र. 21-18/आईसीटीसी/ 2019/2486 दिनांक 03/10/2019

(सुरभि गुप्ता)
आई.ए.एस
परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल,दिनांक 26/05/22

पृ.क्रमांक/एफ 21-01/ आईसीटीसी/2022/ 925
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश |
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश |
3. समस्त संभागीय निदेशक, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश |
4. समस्त जिला एड्स नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश |

परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल

GOI/NACO/BSD (ICTC)/OGL/23062016

NACO

NATIONAL HIV COUNSELLING AND TESTING SERVICES (HCTS) GUIDELINES

June 2016

सत्यमेव जयते

Government of India
National AIDS Control Organization
Basic Services Division

S.No.	Types of HCTS facility	Institution where HCTS facility can be established	Package of HIV testing services as per the National HCTS Guidelines, 2016
2	HCTS Screening facility	- F-ICTC - Government Health Facility (PHC/CHC/SDH) - OPD/IPD/Emergency ward - Mobile F-ICTC - Public-private partnership facility - Health facilities under corporations and public sector undertakings - Private medical colleges - TI-based - Designated microscopy centre (DMC) - Designated STI/RTI Clinics (DSRC)	- Pre-test counselling and informed consent - HIV screening - Screening for STI/RTI, TB and other co-infections - Post-test counselling - Linkages to SA-ICTC for confirmation of diagnosis and care and treatment - Linkage to other health services

2.4.1.1 Stand-Alone ICTC (SA-ICTC)

1. **Physical infrastructure**

The SA-ICTC facility should be located at an easily accessible place with proper signages to direct and guide people to the location. The SA-ICTC facility should consist of at least two rooms, one for counselling and the other for testing.

i. **Counselling room**

The counselling room should be at least 15'X15' in size (225 sq. ft.) with ventilation standards of 6–12 air changes per hour (ACH) to reduce the risk of air-borne infection to the staff and individuals accessing HCTS. The room should ensure audio-visual privacy. This room should be furnished with a desk and chair for the counsellor, another 10–15 chairs for group counselling sessions, a lockable filing cabinet for keeping records, and a desktop computer with a computer table along with UPS and printer. The SA-ICTC should have functional internet connectivity. It should be equipped with the following communication and educational aids:

- TV and DVD player in a lockable stand
- Wall-hanging posters and information materials for display
- Flip charts, and penis model for demonstration of condom use
- Leaflets/pamphlets as take-home material

ii. **Blood collection and testing room**

The blood collection and testing room should have an area of at least 10'x10' in size (100 sq. ft.), furnished with a desk, a chair and a workstation, and should preferably be co-located with a counselling room. The testing room should also have a comfortable seating arrangement for

the individual accessing HCTS. The laboratory should be equipped with one refrigerator with voltage stabilizer, thermometer, centrifuge, needle destroyer, micropipette and colour-coded waste disposal bins with disposable polybags, as per the NACO HIV Testing Guidelines 2015.

The availability of the following laboratory consumables should be ensured for collection and testing of blood:

- Sterile needles and syringes/vacutainers
- Disposable gloves
- Vials and tubes for collection and storage of blood
- Cotton swabs
- Cleaning material such as spirit/antiseptic lotion/Distilled water
- Bleach/hypochlorite solution
- Micro tips for use in micropipettes

Box 2.2: Infection control and protection of staff

The staff working in the blood collection room and laboratory should adopt the universal work precautions. A detailed description of the universal precautions is provided in the National HIV Testing Guidelines 2015. In case of accidental exposure of any staff member to HIV infection, PEP must be administered within the stipulated time frame. The protocol for administration of PEP is available on NACO website.

Air-borne infection control (AIC): To prevent the transmission of TB and other air-borne infections, an HCTS facility should carry out the following activities:

- Ensure cross-ventilation at the waiting hall, hallway, counsellor room and testing room
- Educate and counsel on cough hygiene for persons with cough
- Fast-track persons with cough to appropriate service delivery points, including TB diagnosis

2. **Major responsibilities of staff at SA-ICTC**

The details of deployment, training, orientation, major roles/responsibilities and activities of the different staff at SA-ICTC are highlighted in Table 2.2.

1. **Medical Officer, In-charge of SA-ICTC**

Criteria and mechanism of deployment: The administrative head of the institution where the SA-ICTC is located will nominate a medical officer as officer in-charge of the SA-ICTC.

Essential orientation /training requirement: Three days by the State AIDS Control Society (SACS)

Target and Achievement of HIV testing FY 2021-22

S.No	District	General Client			Pregnant Women			Total (PW+G		
		Target for GC	FY 2021-22		Estimated ANC	FY 2021-22		FY 2021-22		
			HIV Test	%		HIV Test	% against Estimation	Target	Achievem ent	%
State		1039333	1083483	104%	2259034	1575209	70%	3298367	2658692	81%
1	Niwari	6120	3131	51%	12002	3413	28%	18122	6544	36%
2	Vidisha	20854	14516	70%	53968	23450	43%	74822	37966	51%
3	Guna	17729	9640	54%	45602	22984	50%	63331	32624	52%
4	Dindori	10036	6659	66%	26003	13885	53%	36039	20544	57%
5	Satna	31824	26988	85%	78434	36284	46%	110258	63272	57%
6	Umaria	9204	5378	58%	24374	14341	59%	33578	19719	59%
7	Rajgarh	22124	14299	65%	50235	29284	58%	72359	43583	60%
8	Agar Malwa	8189	5385	66%	17320	10163	59%	25509	15548	61%
9	Ashok nagar	12069	6841	57%	30253	19198	63%	42322	26039	62%
10	Seoni	19729	8603	44%	44127	30722	70%	63856	39325	62%
11	Panna	14541	14920	103%	39556	18612	47%	54097	33532	62%
12	Harda	8120	5882	72%	17548	10038	57%	25668	15920	62%
13	Sidhi	16071	8836	55%	37291	25444	68%	53362	34280	64%
14	Betul	22454	12938	58%	44779	30546	68%	67233	43484	65%
15	Shajapur	13456	8195	61%	28542	19328	68%	41998	27523	66%
16	Damoh	18079	16150	89%	44704	25825	58%	62783	41975	67%
17	Raisen	18967	19861	105%	44477	22794	51%	63444	42655	67%
18	Katni	18444	14728	80%	43469	27651	64%	61913	42379	68%
19	Khargone	26664	22615	85%	61163	37527	61%	87827	60142	68%
20	Alirajpur	10299	6089	59%	21221	15655	74%	31520	21744	69%
21	Chhindwara	29880	20019	67%	56961	40013	70%	86841	60032	69%
22	Morena	28144	12241	43%	59397	49639	84%	87541	61880	71%
23	Mandla	15019	11712	78%	32625	22441	69%	47644	34153	72%
24	Tikamgarh	18716	15460	83%	46966	31666	67%	65682	47126	72%
25	Sehore	18617	15060	81%	43812	29762	68%	62429	44822	72%
26	Anuppur	10674	4830	45%	21304	18207	85%	31978	23037	72%
27	Narsinghpur	15601	13938	89%	34947	23149	66%	50548	37087	73%
28	Chhatarpur	25180	16886	67%	64775	49162	76%	89955	66048	73%
29	Bhind	24364	14756	61%	48057	38864	81%	72421	53620	74%
30	Khandwa	18684	15125	81%	38276	27071	71%	56960	42196	74%
31	Barwani	19711	22723	115%	56719	34852	61%	76430	57575	75%
32	Singrauli	16817	17850	106%	39994	25415	64%	56811	43265	76%
33	Ratlam	20733	20079	97%	48082	32383	67%	68815	52462	76%
34	Hoshangabad	17700	18815	106%	32789	21032	64%	50489	39847	79%
35	Burhanpur	10818	7205	67%	21845	18679	86%	32663	25884	79%
36	Datia	11260	11149	99%	18366	12390	67%	29626	23539	79%
37	Shivpuri	24663	13868	56%	67551	59792	89%	92214	73660	80%
38	Balaghat	24331	24015	99%	46126	32912	71%	70457	56927	81%
39	Dhar	31062	38660	124%	68572	42494	62%	99634	81154	81%
40	Shahdol	15176	9078	60%	31290	29697	95%	46466	38775	83%
41	Sagar	33826	40164	119%	81400	60030	74%	115226	100194	87%
42	Jhabua	14518	9558	66%	31900	31661	99%	46418	41219	89%
43	Mandsaur	19185	25808	135%	29959	22276	74%	49144	48084	98%
44	Neemuch	11695	15438	132%	21623	17568	81%	33318	33006	99%
45	Rewa	33799	63197	187%	77314	48957	63%	111113	112154	101%
46	Indore	46465	75703	163%	86373	62300	72%	132838	138003	104%
47	Dewas	22321	28157	126%	41444	38682	93%	63765	66839	105%
48	Sheopur	9841	6061	62%	19502	24711	127%	29343	30772	105%
49	Gwalior	28844	48020	166%	46583	42390	91%	75427	90410	120%
50	Ujjain	28366	62678	221%	57393	45966	80%	85759	108644	127%
51	Bhopal	33469	66010	197%	58190	53607	92%	91659	119617	131%
52	Jabalpur	34881	87566	251%	63831	50297	79%	98712	137863	140%

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)

द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011

फोन–(0755) 2570431,2570442 फैक्स : 0755 –2556619

Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्र./एफ 21–18/आई.सी.टी.सी./2019/2486 भोपाल, दिनांक 03.10.19

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला..
मध्यप्रदेश।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 मे स्वीकृत 78 आई.सी.टी.सी. हेतु बजट आवंटन बाबत्।**

संदर्भः– **इस कार्या. का पत्र क्र./एफ 21–1/आई.सी.टी.सी./2019/2376, दिनांक 19/09/19**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विभिन्न जिलो में 78 नवीन आई.सी.टी.सी. केन्द्रों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन स्वीकृत 78 आईसीटीसी केन्द्रों के लिये निम्नानुसार बजट **प्रत्येक केन्द्र को** आवंटित किया जा रहा है। यह बजट प्रति आईसीटीसी केन्द्रवार निम्नानुसार मदों में आवंटित किया गया है :–

Budget Head			
S.no.	Particulars	Budget per Center approved in FY 2019-20	budget Alloted to per Center in FY 2019-20
1	Minor Refurbishment	GFATM/Global Budget 1.3.2.1 @ 80,000/- Per Center	80000.00
2	Procurement of Equipment	GFATM /Global Budget 1.3.4.1 @ 60,000/- Per Center	60000.00
		Total Budget per SA ICTC	1,40,000.00

जिले में स्वीकृत 78 नये स्टेण्ड अलोन आई.सी.टी.सी. को प्रति आईसीटीसी रू. 1,40,000/– के मान से निम्नानुसार कुल बजट आवंटित किया जा रहा है :–

SN	District	Budget allotement in favour of	Total Budget Alloted FY 2019-20
1	Agar Malwa	Chief Medical & Health Officer Agar Malwa	140000
2	Alirajpur	Chief Medical & Health Officer Alirajpur	140000
3	Anuppur	Chief Medical & Health Officer Anuppur	280000
4	Ashok Nagar	Chief Medical & Health Officer Ashok Nagar	280000
5	Balaghat	Chief Medical & Health Officer Balaghat	280000
6	Barwani	Chief Medical & Health Officer Barwani	420000
7	Betul	Chief Medical & Health Officer Betul	140000
8	Bhind	Chief Medical & Health Officer Bhind	280000
9	Burhanpur	Chief Medical & Health Officer Burhanpur	280000
10	Chhatarpur	Chief Medical & Health Officer Chhatarpur	140000

SN	District	Budget allotement in favour of	Total Budget Alloted FY 2019-20
11	Chhindwara	Chief Medical & Health Officer Chhindwara	280000
12	Datia	Chief Medical & Health Officer Datia	140000
13	Dindori	Chief Medical & Health Officer Dindori	280000
14	Guna	Chief Medical & Health Officer Guna	140000
15	Gwalior	Chief Medical & Health Officer Gwalior	280000
16	Indore	Chief Medical & Health Officer Indore	140000
17	Jabalpur	Chief Medical & Health Officer Jabalpur	420000
18	Jhabua	Chief Medical & Health Officer Jhabua	280000
19	Khandwa	Chief Medical & Health Officer Khandwa	280000
20	Khargone	Chief Medical & Health Officer Khargone	280000
21	Mandla	Chief Medical & Health Officer Mandla	420000
22	Mandsour	Chief Medical & Health Officer Mandsour	140000
23	Morena	Chief Medical & Health Officer Morena	280000
24	Narsinghpur	Chief Medical & Health Officer Narsinghpur	140000
25	Neemuch	Chief Medical & Health Officer Neemuch	140000
26	Raisen	Chief Medical & Health Officer Raisen	280000
27	Rajgarh	Chief Medical & Health Officer Rajgarh	420000
28	Ratlam	Chief Medical & Health Officer Ratlam	280000
29	Rewa	Chief Medical & Health Officer Rewa	280000
30	Sagar	Chief Medical & Health Officer Sagar	420000
31	Satna	Chief Medical & Health Officer Satna	560000
32	Sehore	Chief Medical & Health Officer Sehore	140000
33	Seoni	Chief Medical & Health Officer Seoni	420000
34	Shahdol	Chief Medical & Health Officer Shahdol	140000
35	Sheopur	Chief Medical & Health Officer Sheopur	140000
36	Shivpuri	Chief Medical & Health Officer Shivpuri	280000
37	Sidhi	Chief Medical & Health Officer Sidhi	140000
38	Singroli	Chief Medical & Health Officer Singroli	280000
39	Tikamgarh*	Chief Medical & Health Officer Tikamgarh	420000
40	Umaria	Chief Medical & Health Officer Umaria	140000
41	Vidisha	Chief Medical & Health Officer Vidisha	140000
		G. Total	**10500000**

* नोट :– सीएचसी निवारी के लिए स्वीकृत आईसीटीसी का बजट टीकमगढ़ जिले में जोड़ा गया है। टीकमगढ़ जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार निवाड़ी के लिए पृथक व्यवस्था आरंभ नहीं हुई है एवं निवाड़ी का समस्त कार्य सीएमएचओ, टीकमगढ़ से ही संपादित होता है। अतः सीएमएचओ, टीकमगढ़ द्वारा ही सीएचसी, निवाड़ी में आईसीटीसी संबंधी कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

उपरोक्त आवंटित बजट के व्यय के दिशानिर्देश निम्नानुसार है :–

1. **माईनर रिफर्बिशमेन्टः–** प्रत्येक आई.सी.टी.सी. हेतु 15` X 15` फीट साईज के दो कक्ष जिसमें एक परामर्श के लिए व एक लैब के लिए होना चाहिए। इन कक्षों में परामर्शदाता व लैब टेक्निशियन हेतु दो टेबल, एक कम्प्यूटर टेबल, दो कुर्सी, दो अलमारी, 15 विजिटिंग चेयर में इस मद की राशि का उपयोग किया जावे। परामर्शदाता व लैब टेक्निशियन के कमरों में एचआईवी परामर्श एवं जांच के दौरान ऑडियो विज्यूअल प्राईवेसी

सुनिश्चित की जावे। इस हेतु यदि परामशदाता व लैब टेक्निशियन के कक्षों मे माईनर रिफर्बिशमेन्ट की आवश्यकता हो तो यह कार्य भी इस मद की शेष राशि से कराया जा सकता है।

2. **प्रोक्योरमेन्ट ऑफ इक्यूपमेन्ट** :– प्रत्येक आई सी टी सी हेतु एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर (सीपीयू, की–बोर्ड, माउस, मॉनीटर, विंडोज़ सॉफ्टवेयर तथा एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर सहित), ब्लेक एण्ड व्हाईट लेजर प्रिंटर, यूपीएस, न्यूनतम 160 लीटर का रेफ्रीजरेटर, न्यूनतम 8 ट्यूब की क्षमता वाली सेन्ट्रीफ्यूज़ मशीन व कलर कोडेड वेंस्ट डिस्पोजल बिन आदि का क्रय इस मद से किया जावे।

राशि उपयोग के अन्य निर्देश :–

1. उपरोक्तानुसार राशि से सामग्री का क्रय नियमानुसार किया जावे। जिस सामग्री के लिए एमपीपीएचएससीएल के पास स्वीकृत दरें न हों तो उनका क्रय नियमानुसार कोटेशन / निविदा प्रकिया से किया जावे।
2. सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से ही किये जावे।
3. आवंटित राशि का लेखा, मूल देयक, दस्तावेज जैसे कोटेशन/टेंडर, क्रय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आदि ऑडिट प्रायोजन हेतु भली प्रकार से संधारित कर रखे जावे ताकि वक्त पर काम आवे।
4. आवंटित राशि से किये जाने वाले सभी क्रय नाको के नियमों के अंतर्गत म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी क्रय नियमानुसार ही किया जावे।
5. संलग्न सूची अनुसार यदि सामग्री क्रय करने में राशि कम पड़ती है तो दोनों मदों को आपस में समायोजित किया जा सकता है।
6. संलग्न सूची अनुसार सामग्री क्रय करने के बाद उसमे Unique Code लिखा जावे। उदारहणनर्थ MPSACS/ICTC/Counsamable Name/Year .

उपरोक्तानुसार आई.सी.टी.सी. के वार्षिक बजट 2019–20 का आवंटन GFATM/Global Budget मद से संबंधित केन्द्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बैंक खाते में पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से जारी किया जा चुका है। आवंटित राशि का उपयोग 15 दिसम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से कर व्यय पत्रक व उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31/12/2019 तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जावे।

संलग्नः– आईसीटीसी बजटवार सूची।

3/10/19

परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

पृ.क्र./एफ 21–18/आई.सी.टी.सी./2019/2487

भोपाल, दिनांक 03.01.19

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ प्रेषित :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
5. लेखा शाखा, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
6. आई.सी.टी.सी. जिला सुपरवाईजर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल/देवास/इंदौर/पन्ना/रीवा/मंदसौर/हरदा/बालाघाट।

5.10.19

परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति